

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर) राज.

दायत

मुकाम

शोभा देवी का बतनाम VY रामपट्ट कौल

मुकदमा

नं. 53/2016 सन

हुक्म या कार्यवाही इतिथियत्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

उपरोक्त वकील आपपक्ष उक्त P.O का
चौरे में पच्चारें हैं गार अडिवा की
पालना में दिनांक 07-12-17 को
पेजे थे।

प्रस्तुतकार

उप-खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

07-12-17 वकील आपपक्ष उक्त/भूत
वहस आपपक्ष को भणसा पाएक वक्त
वहस आपपक्ष दिनांक 05-11-18 को
पेजे थे।

उप-खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

05/01/18

उभय पक्ष उपस्थित | वहेह प्रार्थना पर
सुनी गई | उग्र भ भागोद के खसरा नंबर
770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777
778 किता 9 खड्डा 1-63 हेक्टेयर प्रार्थी
की सामग्री भूमि है तथा ख.नं. 779
अप्रार्थी खं. 1, 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है



शाहिदेवी नॉ. 11 रामचण्ड को पूर

वारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

53/2016

प्रतिपत्र

प्राची ने उक्त आराजी पूर्व खातेदारान
 कालूशम पुत्र छोटे के कृष की हेंजिसके
 काकिक ख. नं. 388 रकबा 2 बीघा 13 किल्ला
 एवं ख. नं. 393 / 653 रकबा 1 बीघा 8 किल्ला
 रहे हैं. अधिवक्ता वाडी का निवेदन रहा कि
 प्रतिवादी ने वाडी की शक्ति के जबरन रास्ता
 निकालने की धमकी दी है. अधिवक्ता
 प्रतिवादी का तर्क रहा कि प्रतिवादी ने
 वाडी के खेत से कोई रास्ता नहीं पाया
 है, बल्कि ख. नं. 791 सिनापचक ठौर भुक्कीत
 रास्ता को खातेदारों ने बंद लगाकर बंद
 कर दिया है, इसे चालू करवाया जावे।
 पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद चालू
 रास्ता को खेप है अतः इस पक्ष को
 लाकैलला मूल वाद अध्यायी निषेधाज्ञा
 से पादन्द किया जाता है कि ख. नं. 770
 लगापत 778 के ~~खेत~~ ^{खेत} एवं मोंके की
 मर्यादित बगैरे बके ख. नं. 791 में चालू
 रास्ते को किसी भी प्रकार से अवरुद्ध नहीं
 करे।



(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी
 विशद नगर (जयपुर)